सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 13 राँची, मंगलवार, 8 जनवरी, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

28 नवम्बर, 2018

विषयः- झारखण्ड राज्य के विभिन्न निकायों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के O&M व्यय के लिए Tipping Fee की राशि का भुगतान से सम्बंधित नीति में संशोधन पर प्रशासनिक स्वीकृति ।

संख्या-SUDA\SBM\SWM\38\2018-5641--74 वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकोंको मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है ।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है । इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 02 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है ।

3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी MSW Rule, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है ।
4. राज्य के विभिन्न निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का कार्य लोक-निजी साझेदारी की पद्धति के आधार पर किया जा रहा है ।
5. राज्य के 27 नगर निकायों हेतु 25 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के DPR पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
   i. प्राप्त स्वीकृति के अनुसार योजना के CAPEX में 30% से 40% राशि का व्यय निजी भागेदारी के द्वारा किया जाना है एवं 70% से 60% राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार मद से अनुदान के रूप में दी जानी है ।
   ii. OPEX(O&M) मद में VGF (Tipping Fee) हेतु सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने का प्रावधान है ।
6. 14 वें वित्त आयोगमें O&M (OPEX) मद में होने वाले व्यय के भुगतान के लिए निकायों को आत्म निर्भर बनाने के लिए Performance Incentive का प्रावधान किया गया है ।
7. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण, 2018 जिसमे देश के 4041 निकायों का सर्वेक्षण किया गया था, में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए O&M मद का व्यय निकाय द्वारा अपने आंतरिक श्रोतों से करने पर अधिक पूर्णांक दिया गया था ।
8. झारखण्ड सम्पति कर नियमावली में संशोधन के उपरांत निकायों के आंतरिक आय श्रोत में वृद्धि हुई है ।
9. उक्त के आलोक में राँची एवं धनबाद नगर निगम को छोड़ शेष 25 निकायों हेतु उपरोक्त कंडिका 5 (II) में संशोधन करते हुए OPEX मद में Tipping Fee का भुगतान राज्य मद एवं निकायों के आंतरिक आय श्रोत से निम्नवत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है : -
   i. निकायों के सकल कर संग्रह के 40% तक की राशि से O&M मद अंतर्गत Tipping Fee का भुगतान किया जायेगा ।
   ii. O&M मद अंतर्गत Tipping Fee निकायों के सकल कर संग्रह के 40% से अधिक होने की स्थिति में शेष राशि का वहन राज्य मद द्वारा निकायों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जायेगा ।
   iii. उल्लेखनीय है कि राँची नगर निगम एवं धनबाद नगर निगम के O&M मद अंतर्गत व्यय हेतु निकाय अंश तथा राज्य/केन्द्र सरकार की अनुदान राशि संकल्प संख्या 3343 एवं 3346 दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा पूर्व निर्धारित है ।
10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को मद संख्या -13 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है |

ह०/-

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव |

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 13 -- 100